जिला गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रपत्र VI 'क'

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

असाधारण अंक सं0 89 धनबाद, शनिवार 17 अक्दुबर 2015

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**लाहेरडीह**, थाना-**गोविन्दपुर**, थाना सं0-**153** अंचल-**गोविन्दपुर**, जिला- **धनबाद**, में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **(ए0डी0बी0 सम्पोषित गोविन्दपुर,-जामताड़ा-साहेबगंज पथ परियोजना पैकेज- 01)** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-**लाहेरडीह**, थाना-**गोविन्दपुर**, थाना सं0-153, अंचल-**गोविन्दपुर**, जिला-**धनबाद**, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश-0.11 एकड़ यानि- 0.0445 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधिन है ....

क0 सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0 (प्लॉट सं0)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध रैयत का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1.	69	1589	रैयती	गोडा तीन	0.11	अब्दुल मियां	1640	1590	1634, 1635	1587, 1588

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा- 11 (1) के उपबंधो के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, **धनबाद** के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं

विनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी विष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन– छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालक करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, **धनबाद** और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, **धनबाद** के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0/
उपायुक्त, धनबाद